फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

शकुन्तला शर्मा बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. गु0नं0– 39/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/7/25	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1099/7, 1111/6, 4 वाके रामा भण्डारी तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थीया के नाम बीना पत्नि स्व0 ललितकुमार हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में सहखातेदारान के रूप में बीना पत्नि स्व0 ललितकुमार अंकित है जो कि प्रार्थीया के बोलते नाम बीना के नाम से दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थीया के अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम शकुंतला शर्मा पत्नी ललितकुमार शर्मा है जो कि सही है इसलिए उक्तानुसार शुद्धि की जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। बहस प्रार्थी अधिवक्ता का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उक्त से यह बखूबी स्पष्ट है कि प्रार्थीया के सभी दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम शकुन्तला दर्ज है तथा राजस्व रिकॉर्ड में बीना दर्ज है जो कि गलत है। पत्रावली में संलग्न सरपंच ग्राम पंचायत भण्डारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी का सही नाम शकुन्तला शर्मा है जिसे बीना नाम से भी बोला जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का निहालपुरा की रिपोर्ट में भी यह अंकित किया गया है कि बीना तथा शकुन्तला दोनो एक ही व्यक्ति है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि में प्रार्थीया का नाम बीना के स्थान पर शकुन्तला शर्मा दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	